संचिका संख्या – 5 बजट (1) 01/2023 42 पशु०(वि०)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

राँची, दिनांक 31.01.23

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, भा०प्र०से०,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो० – हिनू, झारखण्ड, राँची।

द्वारा :– वित्त विभाग (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार), झारखण्ड।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2022–23 में अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत आधारभूत संरचना विकास तथा गोकुल ग्राम एवं खटाल पुनर्वास योजना के तहत् जिला गव्य विकास कार्यालय देवघर के परिसर में अतिथिशाला एवं सभागार के निर्माण के लिए अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दुमका द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन की राशि कुल रू० 29,02,100/– (उनतीस लाख दो हजार एक सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022–23 में अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत आधारभूत संरचना विकास तथा गोकुल ग्राम एवं खटाल पुनर्वास योजना के तहत् जिला गव्य विकास कार्यालय देवघर के परिसर में अतिथिशाला एवं सभागार के निर्माण के लिए अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दुमका से प्राप्त तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन तथा निदेशक, गव्य के पत्रांक–1214 दिनांक–01.12.2022 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कुल रू० 29,02,100/– (उनतीस लाख दो हजार एक सौ रूपये) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निर्माण कार्यों की विवरणी निम्नवत् हैं :–

क्र० सं०	कार्य/कार्य स्थल	तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी	तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन की राशि	प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृत राशि
1	जिला गव्य विकास कार्यालय, देवघर के परिसर में अतिथिशाला एवं सभागार का निर्माण	अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दुमका	29,02,100/-	29,02,100/-
कुल :–			**29,02,100/-** (उनतीस लाख दो हजार एक सौ रूपये)	**29,02,100/-** (उनतीस लाख दो हजार एक सौ रूपये)

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय का विकलन माँग संख्या–54, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग), झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत STATE SCHEME : INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT & GOKUL GRAM WITH KHATAL REHABILITATION (CAPITAL) (1252) के तहत निम्न बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा :–

क्र०सं०	बजट शीर्ष / विपत्र कोड	स्वीकृत राशि (रू० में)
1	मॉग सं0 – 54 – कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) अन्तर्गत बजट शीर्ष – 4404 – डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय – 102 – डेरी विकास परियोजनाएं – 77 – आधारभूत संरचना विकास तथा गोकुल ग्राम एवं खटाल पुनर्वास – 01 – कार्यालय एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण – 05 – निर्माण – 45 – निर्माण कार्य विपत्र कोड 54-S-4404-00-102-77-01-05-45)	29,02,100/-
	कुल –	**29,02,100/-** (उनतीस लाख दो हजार एक सौ रूपये)

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, देवघर होंगे, जो **राशि की निकासी कर सम्बंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को पुस्तान्तरित / बैंक ड्राफ्ट** के माध्यम से जमा करायेंगे। निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे। सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, देवघर से की जायेगी।

5. भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–3181 (भ) अनु० दिनांक–30.11.2017 के आलोक में योजना का कार्य भवन निर्माण विभाग से कराया जाना है।

6. निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाए जा रहे सामग्रियों एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच संबंधित भवन निर्माण कार्यालय द्वारा कराकर संबंधित कार्यालय एवं निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जायेगा।

7. विषयगत योजनान्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य का कार्यान्वयन लोक निर्माण विभाग संहिता में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा।

8. प्रस्तावित निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के पूर्व एवं कार्य के पूरा होने के उपरांत संबंधित भवनों / स्थलों का फोटोग्राफ्स संबंधित कार्यालय तथा गव्य विकास निदेशालय के अभिलेख में संधारित किया जायेगा।

9. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–29 / बी०टी०ई०–11 / 2021–22 / 245 / बजट दिनांक–30.03.2022 के आलोक में राशि का व्यय किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत एवं वित्त विभागीय स्थाई अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी।

11. राशि का व्यय स्वीकृत मदों में उनके सम्मुख दर्शायी गयी राशि की अधिसीमा में किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटित राशि से अधिक का व्यय न हो।

12. स्वीकृत कार्यों में जिला प्रशासन या अन्य स्त्रोत से व्यय न हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा। Duplication अनुमान्य नहीं होगा। यदि हो, तो इसकी तत्काल सूचना विभाग को दी जायेगी।

13. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व सभी प्रासंगिक नियमों/स्थापित प्रक्रियाओं का दृढ़तापूर्वक पालन करना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

14. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी एवं व्यय के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

15. स्वीकृत निर्माण कार्यों का सतत भौतिक निरीक्षण संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (जिला गव्य विकास पदाधिकारी, देवघर) द्वारा किया जायेगा तथा तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्ता सहित कार्यों का ससमय निष्पादन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमित अंतराल में संबंधित भवन प्रमण्डल से इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरुप एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी दोषी माने जायेंगे।

16. आधारभूत संरचना विकास योजना अन्तर्गत संदर्भित बजट शीर्ष के तहत निर्माण कार्य मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत उपबंध राशि रु० 50,00,000/– के विरूद्ध रु० 49,53,600/– का व्यय किया गया है।

17. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक 301 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्तहै।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 42 रा०(वि०) राँची, दिनांक 31.01.23

प्रतिलिपिः– सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ......42 रा०(वि०)...... राँची, दिनांक ......31.01.23......

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ......42 रा०(वि०)...... राँची, दिनांक ......31.01.23......

प्रतिलिपिः— आयुक्त, संथान परगना प्रमण्डल, दुमका/उपायुक्त, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ......42 रा०(वि०)...... राँची, दिनांक ......31.01.23......

प्रतिलिपिः— निदेशक, गव्य, झारखण्ड, राँची/संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक ......42 रा०(वि०)...... राँची, दिनांक ......31.01.23......

प्रतिलिपिः— नोडल पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकार के पोर्टल (www.jharkhand.gov.in) पर अद्यतन सूचनाएँ अपलोड करन हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव